राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

सं0प0 9(26)कार्मिक/क-5/95 जयपुर, दिनांक 28-8-97

समस्त विभागाध्यक्ष,
(जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

जैसाकि आपको विदित है इस विभाग की अधिसूचना संख्या प0 9(8)कार्मिक/क-5/90 दिनांक 28-9-93 द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरी जाने वाली रिक्तियों का 21% अंश समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या प0 11(125)आरएण्डपी/सकवि/52307 दिनांक 6-8-94 द्वारा अधिसूचित संशोधित पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 3 में उन व्यक्तियों/वर्गों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। उक्त अनुसूची के बिन्दु संख्या 11 में राजकीय सेवाओं में कार्यरत ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 के अधिकारियों पर लागू होने वाले अपवर्जन के नियम वर्णित हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 के निर्धारण हेतु प्रकरण का परीक्षण किया गया और समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15-4-96 द्वारा अपवर्जन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 के वेतनमान संख्या 16(2200-4000) से 27(5900-6700) हेतु प्रस्तावित पद ग्रुप-1 के समकक्ष तथा राज्य सरकार के पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 के वेतनमान संख्या 13(1640-2900) से 15(2000-3500) हेतु प्रस्तावित पद ग्रुप-2 के समकक्ष मानते हुए मापदण्ड निर्धारित किये गये।

पुन: यह प्रश्न उठा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको उक्त स्पष्टीकरण दिनांक 15-4-96 के जारी होने से पूर्व में क्रिमीलेयर का नहीं होना प्रमाणित किया गया था, लेकिन उक्त स्पष्टीकरण के जारी होने के उपरान्त उक्त अभ्यार्थी क्रिमीलेयर की श्रेणी में आ जाते हैं तो क्या उन्हें आरक्षण का लाभ देय है अथवा नहीं तथा ऐसे प्रमाण-पत्रों का परीक्षण किस स्तर पर होगा।

2/....

शासन सचिवालय, जयपुर

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने स्पष्टीकारक परिपत्र दिनांक 11-3-97 द्वारा स्पष्ट किया कि ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त परिपत्र दिनांक 15-4-96 के पूर्व की स्थिति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के थे अर्थात् क्रिमीलेयर के नहीं होने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये थे और चयन होने की दिनांक अर्थात् परिणाम घोषित होने तक क्रिमीलेयर की श्रेणी में आ जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र सेवाओं/पदों में नियुक्ति के प्रयोजनार्थ उपयुक्त नहीं माने जावें। उन्हें क्रिमीलेयर में समझा जावे तथा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र का परीक्षण साक्षात्कार के समय या जहां साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है अन्तिम परिणाम घोषित होने के पूर्व क्रिमीलेयर में आने/न आने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नियुक्तिकर्ता अधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी से अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। यह प्रक्रिया आयोग द्वारा भरे जाने वाले पदों और नियुक्ति अधिकारी के परिक्षेत्र के पदों पर समान रूप से लागू होगी।

पुन: राज्य सरकार के ध्यान में यह बात आने पर कि जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा राज्य सेवा में कार्यरत ऐसे अधिकारियों को भी जाति प्रमाण-पत्र क्रिमीलेयर में नहीं होने के जारी किये जा रहे हैं जो परिपत्र दिनांक 15-4-96 द्वारा निर्धारित मापदण्ड से क्रिमीलेयर की परिधि में आते हैं, परिपत्र दिनांक 4-7-97 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अन्य पिछड़े वर्ग के होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावे तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जावे।

उक्त परिपत्रों दिनांक 15-4-96, 11-3-97 एवं 4-7-97 के द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के सम्बन्ध में विधि विभाग द्वारा भी निम्न राय व्यक्त की गई है:-

> "भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त परिपत्रों द्वारा जो स्पष्टीकरण दिये गये हैं वे विधिक रूप से सही प्रतीत होते हैं और इनकी पालना आयोग द्वारा भी करनी चाहिये अर्थात अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र का क्रिमीलेयर के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण साक्षात्कार या अंतिम परिणाम घोषित होने से पूर्व सम्बन्धित नियुक्तिकर्ता द्वारा करना अनिवार्य है।"

विधि विभाग द्वारा व्यक्त उपर्युक्त राय के परिप्रेक्ष्य में निर्देशानुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कृपया उक्त सन्दर्भित परिपत्रों के अनुसार ही कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ नियुक्तिकर्ता अधिकारियों एवं जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2- विशिष्ठ सहायक, मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4- पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5- सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6- रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

संयुक्त निदेशक, आयोजना विभाग (प्र. 5)
शासन सचिवालय, जयपुर